

प्रशिक्षणादेश संख्या-...118.../2023

विषय- बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-8631, दिनांक-16.10.2019 द्वारा बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2019 अधिसूचित है। उक्त नियमावली के नियम-11 के अनुसार- निम्नवर्गीय लिपिक का बुनियादी प्रशिक्षण 120 कार्यदिवसों का होगा।

उक्त नियमावली के नियम-10 के आलोक में लिपिकों की विभागीय परीक्षा का आयोजन तथा एतदर्थ विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक-1081, दिनांक-15.10.2020 द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, के अधिसूचना संख्या-2931, दिनांक-01.12.2017 के आलोक में लिपिकों की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित विषयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्तनिम्नवर्गीय लिपिकों के महत्वपूर्ण दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए सम्पूर्ण प्रशिक्षण निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :-

- (क) भाग-1, बुनियादी प्रशिक्षण- 120 कार्यदिवस  
(ख) भाग-2, व्यावहारिक प्रशिक्षण- 25 सप्ताह

**भाग-1**

बुनियादी प्रशिक्षण :-

(A). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (निम्नवर्गीय लिपिक) का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्र.सं.	विषय	विषय कोड
1.	हिन्दी लिखित (पुस्तक सहित)।	Code-01
2.	कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (पुस्तक सहित)।	Code-02
3.	लेखा एवं बैंकिंग (पुस्तक सहित)।	Code-06
4.	सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (पुस्तक सहित)।	Code-07
5.	क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों हेतुलेखासंबंधी विशेष प्रश्न पत्र(पुस्तक सहित)।	Code-21

(B). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण का कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय-वस्तु	निर्धारित अवधि/संख्या
1.	प्रशिक्षण की कुल अवधि	145 दिन
2.	प्रशिक्षण अवधि में रविवार सहित अवकाश की अनुमानित कुल अवधि	(-) 25 दिन
3.	सावधिक एवं सत्रांत परीक्षा की कुल अवधि	(-)
4.	प्रशिक्षण के लिए निर्धारित कुल कार्य दिवस	(=) 120 दिन
5.	प्रति सप्ताह कुल कार्य दिवस	06

6.	प्रतिदिन कक्षाओं की संख्या	अन्तः विषयों की कुल कक्षायें- 06 वाह्य कक्षायें- 02	08
7.	कक्षाओं की कुल संख्या	अन्तः विषयों की कुल कक्षायें-720 वाह्य कक्षायें-240	960

नोट :-रविवार एवं सरकारी अवकाश के दिनों की गणना प्रशिक्षण कार्य दिवस के रूप में नहीं होगी।

(C). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के (निम्नवर्गीय लिपिक)का बुनियादी प्रशिक्षण का दैनिक पाठ्यक्रम

क्र.सं.	समयावधि	कक्षा का क्रम	विषय का प्रकार	प्रशिक्षण के विषय का नाम	कक्षाओं की कुल संख्या
1.	06:00बजे से 06:50बजेतक	पहली कक्षा	बाह्य कक्षा	क्रॉस कन्ट्री दौड़ के उपरांत पी0टी0 दौड़ के उपरांत योग	20 50 50
2.	09:30बजे से 10:20 बजेतक	दूसरी कक्षा	अन्तः विषय	हिन्दी लिखित	120
3.	10:20बजे से 11:10बजे तक	तीसरी कक्षा	अन्तः विषय	कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी	120
4.	11:10बजे से 12:00 बजे तक	चौथी कक्षा	अन्तः विषय	लेखा एवं बैंकिंग	120
ब्रेक					
5.	12:20 बजे से 13:10 बजे तक	पाँचवी कक्षा	अन्तः विषय	सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली	120
6.	13:10बजे से 14:00बजे तक	छठी कक्षा	अन्तः विषय	क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों हेतुलेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र	120
	14:00बजे	भोजनावकाश			
7.	16:00बजे से 16:50 बजेतक	सातवीं कक्षा	अन्तः विषय	कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी / हिन्दी लिखित	120
8.	16:50बजे से 17:40बजे तक	आठवीं कक्षा	बाह्य कक्षा	खेल-कूद	120

(प्रत्येक कक्षा की अवधि 50 मिनट की होगी।)

(D). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण की सत्रांत परीक्षा संबंधी विवरणी

क्र.सं.	विषय	कुल अंक	उत्तीर्णांक
1.	अन्तः विषय	1000	500
2.	बाह्य विषय	100	50
3.	बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन	100	50
	योग-	1200	600

(E). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण की सत्रांत परीक्षा में अन्तः विषयों में अंक निर्धारण।

1. अन्तः विषय

क्र.सं.	विषय कोड	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	परीक्षा की समयावधि
1.	हिन्दी लिखित (विषय कोड-01)	200	100	03 घंटे
2.	कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (विषय कोड-02)	200	100	03 घंटे
3.	लेखा एवं बैंकिंग (विषय कोड-06)	200	100	03 घंटे
4.	सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (विषय कोड-07)	200	100	03 घंटे
5.	क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र (विषय कोड-21)	200	100	03 घंटे
कुल-		1000	500	-

(F). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण की सत्रांत परीक्षा में बाह्य विषयों का अंक निर्धारण।

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	परीक्षा की समयावधि	
1.	शारीरिक प्रशिक्षण	(क) दौड़	20	10	-
		(ख)क्रॉसकन्ट्री	20	10	
		(ग)पी0टी0	30	15	
		(घ)योग	30	15	
		योग-	100	50	

(G). बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन

विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
परिधान संधारण एवं टर्न आउट	15	50
समय की पाबंदी	15	
दक्षता	10	
अनुशासन	15	
भाषा एवं शब्दों का प्रयोग	10	
खेल-कूद में प्रदर्शन	10	
अच्छा आचरण एवं सौम्य व्यवहार	15	
समाजिक कार्यों में अभिरुचि	10	
योग-	100	50

(H). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण में अन्तः विषयों का पाठ्यक्रम

विषय कोड-01 (हिन्दी लिखित)

अंक-200, 120 कक्षा

1	टिप्पण	50	
2.	प्रारूपण	50	
3.	अनुवाद	50	
4.	वाक्यों का शुद्धिकरण	50	

विषय कोड-02 (कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी)

अंक-200, 120 कक्षा

1	परिचय, कम्प्यूटर के प्रकार, संरचना-हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर द्वारा कार्य करने की विधि की सामान्य जानकारी। यू0पी0एस0, सी0पी0यू0, इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइसेज, मदरबोर्ड, यू0एस0बी0, पोर्ट, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्डडिस्क के ड्राइव्स, स्कैनर, इत्यादि की जानकारी। टाईटलबार, टास्कबार, साइडबार, स्क्रॉलबार, मैन्युबार, टूलबार, कर्सर, फाईल, फोल्डर फॉन्ट, डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी। पेन ड्राइव, टेक्स्ट सेलेक्ट करने, कट, कॉपी, पेस्ट, शॉर्ट कट की, पेपर के साईज, हेडर फुटर, फॉन्ट, एवं बैकग्राउण्ड के कलर को बदलने की जानकारी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, विंडोज की जानकारी।
2.	ई-मेल प्राप्त करना एवं भेजना, गुप ई-मेल भेजना।
3.	ई-ऑफिस प्रणाली, ई-मेल के द्वारा फाईल भेजना एवं प्राप्त करना।
4.	पत्र-टंकण (हिन्दी या अंग्रेजी) एवं पत्र को ई-मेल के माध्यम से एटैचमेंट के रूप में भेजना।
5.	एम0एस0 वर्ड की सभी विशेषता की जानकारी होना। एम0एस0वर्ड में दस्तावेज तैयार, संशोधित एवं प्रिंट करना।
6.	एक्सेल फाईल में विभागीय आँकड़ा तैयार करना। एक्सेल फाईल की निम्नलिखित जानकारी होना :-i. टेबल और स्प्रेडशीट का निर्माण ii. जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि iii. एक्सेल में आँकड़ा का उपयोग करके ग्राफ बनाना।
7.	पावर प्वाइंट में स्लाईड्स/प्रेजेंटेशन तैयार करना।
8.	इन्टरनेटब्राउजिंग एवं सर्च ईंजन यथा गुगल, गुगल क्रॉम, आदि की जानकारी।
9.	सोशल मीडिया के उपयोग की जानकारी। यथा ट्विटर, फेसबुक, वाट्स-ऐप।

विषय कोड-06 (लेखा एवं बैंकिंग)

अंक-200, 120 कक्षा

1	भारत सरकार ऑडिट एवं लेखा मैनुअल
2.	सिविल लेखा कोड
3.	ऑडिट के सिद्धांत
4.	अग्रिम लेखा (Advance accountancy) और बही खाता (Book Keeping)
5.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949

विषय कोड-07 (सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली)

अंक-200, 120 कक्षा

1	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 और नियमावली।
2.	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 और नियमावली।
3.	लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (बिहार) 2011 और नियमावली।

4.	बिहार सेवा संहिता सभी अध्याय।
5.	बिहार कोषागार संहिता सभी अध्याय।
6.	बिहार वित्त नियमावली।
7.	बिहार कार्यपालिका नियमावली-1979
8.	बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली।
9.	राज्य सरकार के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में नियम।
10.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 एवं नियमावली।
11.	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005
12.	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली।
13.	बिहार पेंशन नियमावली।
14.	सामान्य भविष्य निधि नियमावली।
15.	बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976
16.	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, के अध्याय 1, 3, 6, 7, 9 एवं 10 बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के अध्याय 2, 3, 6, 8, 9 एवं 16 के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान।
17.	बिहार पुलिस हस्तक1978, बिहार पुलिस अधिनियम 2007, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 की संगत नियम की जानकारी

विषय कोड-21 (क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों हेतु लेखा संबंधी विशेष प्रश्न पत्र)

अंक-200,120 कक्षा

1	बिहार सेवा संहिता, (सभी अध्याय)।
2.	बिहार कोषागार संहिता, (सभी अध्याय)।
3.	बिहार वित्त नियमावली।
4.	बोर्ड प्रकीर्णनियमावली।
5.	राज्य सरकार के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में नियम।
6.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 एवं नियमावली।
7.	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, अपील एवं नियंत्रण)नियमावली, 2005।
8.	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली।
9.	बिहार पेंशन नियमावली।
10.	सामान्य भविष्य निधि नियमावली।
11.	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, के अध्याय 1, 3, 6, 7, 9 एवं 10, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के अध्याय 2, 3, 6, 8, 9 एवं 16 के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान।
12.	HRMS/CFMS/Gem Portal पर समान क्रय-विक्रयकी गहन जानकारी

(I). बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के बुनियादी प्रशिक्षण में बाह्य विषयों का पाठ्यक्रम

(क) दौड़:-

कुल कक्षा -120

क्र०स०	विषय	विवरणी	
1	दौड़ (प्रत्येक पी०टी० एवं योग की कक्षा के पहले)	पुरुष	1600 मीटर-10 मिनट (अधिकतम)
		महिला	1000 मीटर-10 मिनट (अधिकतम)

(ख) क्रॉस कौन्ट्री

कक्षा -20

2	क्रॉस कौन्ट्री	3 किलोमीटर (रन एण्ड वाक)
---	----------------	--------------------------

(ग) पी0टी0:-

कक्षा -50


1.	शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी
2.	रिक्रूट पी0टी0
3.	पी0टी0 (तालिका 1-6)
4.	सामूहिक व्यायाम
5.	फिजिकल प्रोफिसिएंसी टेस्ट
6.	बैटिल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट

(घ) योग :-

कक्षा -50

1.	योग एवं व्यायाम में अन्तर जानना
2.	सूर्य नमस्कार
3.	ताडासन, कटिचक्रसन, पवन मुक्तासन, हलासन, बज्रासन, भुजंगासन, मकरासन, पश्चिमोत्तासन, नौकासन, धनुरासन, पद्मासन, सर्वांगसन, श्वासन
4.	प्रणायाम-भस्त्रिका, कपालभात्ती, अनुलोम-विलोम, उज्जयी, ध्यान

- नोट:- (1) बिहार पुलिस लिपिकीय संवर्ग के सदस्य की मूल कोटि में आपसी राज्य वरीयताकी गणना हेतु आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ बुनियादी प्रशिक्षण में मात्र अंतः बिषय के 1000 अंकों में प्राप्त अंकों को ही जोड़ा जायेगा।
- (2) संवर्ग के सामान्य प्रशिक्षुओं को बाह्य बिषय एवं प्राचार्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, किन्तु इन बिषयों के प्राप्त अंकों को परीक्षाफल के अंतिम परिणाम में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (3) दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए प्राचार्य मूल्यांकन के खेल-कूद प्रदर्शन एवं बाह्य बिषय प्रशिक्षण में सम्मिलित होना ऐच्छिक होगा।

  
 (प्रीता वर्मा)  
 पुलिस महानिदेश, प्रशिक्षण  
 बिहार, पटना। 8.12.23

## भाग-2

### व्यावहारिक प्रशिक्षण

बुनियादी प्रशिक्षण के उपरान्त सभी लिपिकों को उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान लिपिक की कार्य कुशलता का परीक्षण कर नियंत्री पदाधिकारी कार्य मूल्यांकन प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। सभी कर्मी उक्त अवधि में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अलावा सामान्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे।

व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगा:-

क्र० सं०	प्रशिक्षण का विषय	कार्यालय का नाम	समयावधि
01	कोषागार से संबंधित कार्य	जिला कोषागार एवं अनुमंडल कोषागार	02 सप्ताह
02	जिला पदाधिकारी के कार्यालय का स्थापना शाखा से संबंधित कार्य	संबंधित जिला पदाधिकारी का कार्यालय	01 सप्ताह
03	लेखा संबंधी सभी कार्य <b>CFMS/HRMS/GEM PORTAL</b>	पदस्थापन कार्यालय का लेखा शाखा	01 माह
04	सामान्य क्रय-विक्रय से संबंधित कार्य	संबंधित पुलिस अधीक्षक (रेल इकाई सहित)/समादेष्टा	02 सप्ताह
05	पेंशन शाखा संबंधित	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
06	अवकाश शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
07	संकेत शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	01 सप्ताह
08	विभागीय कार्यवाही शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
09	सेवा पुस्तिका शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
10	आपूर्ति शाखा 1. उपस्कर शाखा 2. कोत शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
11	सामान्य शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
12	विधि शाखा	संबंधित जिला/वाहिनी/इकाई की शाखा	02 सप्ताह
13	थाना	संबंधित जिला का कोई भी थाना	01 सप्ताह

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या-पी0-5/17-05-02-2020 में प्राप्त है।

(प्रतीता वर्मा)  
पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण  
बिहार, पटना। 8.12.23

ज्ञापांक-सा0शा0 / 01-31-2020 / 2328 / प्रशि0

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग),

पटना, दिनांक :- 12.12.2023.

- प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
02. महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  03. पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  04. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  05. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल / इकाई / वाहिनी सहित) बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  06. पुलिस उप-महानिरीक्षक सह उप-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  07. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  08. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को बुनियादी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(प्रीता वर्मा)

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण  
बिहार, पटना।

8.12.23